न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 146 / 2015

उनवान

1. हजारी पिता मांगू बंजारा निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिजौलिया
3. खनिज अभियन्ता खान एवं भूंगर्भ विभाग, बिजौलिया जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 6 / 2005 (68 / 2012) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.6.2015

अभिभाषक : 1. श्री एस एन चण्डक , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 19.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नयानगर तहसील बिजौलिया स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 469 मीन

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का कुल रकबा 85 बीघा 8 बिस्वा है जिसमें से 4 बीघा भूमि पर संवत 2040 के पूर्व से ही वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर के अतिरिक्त खसरा नम्बर 843/466 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 844/466 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 845/466 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 847/466 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा खसरा नम्बर 46 मीन रकबा 4 बीघा सहित 7 बीघा 14 बिस्वा, वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी व उसके परिवार के सदस्यों ने शारीरिक श्रम व लागत लगाकर आराजी नम्बर 469 मीन में करीब 80 फीट गहरे पक्के कुए का निर्माण भी कराया है। साथ ही अपने कब्जे सुदा आराजी के चारों तरफ पत्थर की दीवार का भी निर्माण कराया है। वादी के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही पिछले 27–28 वर्षों से की जाती रही है। प्रकरण संख्या 1202सन् 93 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के निर्णय दिनांक 6.1.94 द्वारा वादी का कब्जा पुराना मानते हुए नियमन की सिफारिश भी की गई है। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 248/98 में भी वादग्रस्त भूमि का वादी के पक्ष में नियमन की सिफारिश की गई है। नियमन की सिफारिश के बावजूद वादी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत शास्ति वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 469 मिन रकबा 85 बीघा 8 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 3 की मांग नहीं होने के बावजूद खनन कार्य हेतु आरक्षित कर दिया गया । जबकि आराजी खसरा नम्बर 469 मिन न तो सेण्ड स्टोन वाली भूमि है एवं न ही आरक्षित किये जाने के पूर्व सेण्ड स्टोन होने बाबत कोई तकनीकी परीक्षण ही कराया गया है। वादी द्वारा 80 फीट

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गहरा आता चाह खोद रखा है जिसमें सेण्ड स्टोन की कोई उपलब्धता नही है। आराजी नम्बर 469 प्रतिवादी नम्बर 3 के नाम पर दर्ज किये जाने के कारण वादग्रस्त भूमि नष्ट हो सकती है एवं वादी को कभी भी वादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः प्रतिवादी गण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने एवं वादग्रस्त आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी/वादी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि नयानगर तहसील बिजौलिया स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 469 मीन का कुल रकबा 85 बीघा 8 बिस्वा, जिसमें से 4 बीघा भूमि पर संवत 2040 के पूर्व से ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर के अतिरिक्त खसरा नम्बर 843/466 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 844/466 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 845/466 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 847/466 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा खसरा नम्बर 469 मीन रकबा 4 बीघा सहित 7 बीघा 14 बिस्वा, वादी के कब्जे काश्त में काफी लम्बे अर्से से चली आने एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त आराजियात को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी के हक में नियमन हेतु सिफारिश किये जाने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजियात में से आराजी नम्बर 469 प्रत्यर्थी संख्या 3 के नाम सेण्ड स्टोन हेतु आरक्षित कर दी गई थी। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने एवं वादग्रस्त आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा आने पर तनकियात कायम की गई एवं साक्ष्य वादी में वादी द्वारा गवाह पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 4 के बयान भी पंजिबद्ध कराये जा चुके थे। प्रकरण शेष साक्ष्य वादी में लंबित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के तहत कोर्ट कैम्प नयानगर में रखा गया जिसमें वादी उपस्थित नहीं हुआ था। केम्प नयानगर में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत किया गया । जिसे स्वीकार कर वादी का वाद पत्र. खारिज कर दिया गया । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण तभी होता है जबकि उभयपक्ष सहमत हों । प्रकरण में वादी सहमत नहीं था इसलिए वह कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ था। प्रकरण साक्ष्य वादी में लंबित था। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वादी की साक्ष्य के उपरान्त प्रतिवादी की साक्ष्य ली जाकर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय किया जाता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण 2015 डी एन जे (एस सी) पेज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

242, आर एल डब्ल्यू 2014 (4) (एस सी) पेज 3371, डी एन जे 2011 (3) (राजस्थान) पेज 1067, डी एन जे 2009 (1) (राजस्थान) पेज 230, आर जे टी 2009 (2) पेज 1419, आर जे टी 2014 (2) पेज 1075 प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

6. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात बिलानाम सरकार है एवं आराजी नम्बर 469 प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजियात पर लम्बे अर्से से कब्जा होना बताते हुए वादग्रस्त आराजियात के खातेदारी अधिकार दिये जाने का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । वाद पत्र एवं प्रतिवादी पत्र के आधार पर तनकियात कायम की गई । प्रकरण साक्ष्य वादी में लंबित था। वादी द्वारा साक्ष्य पी डब्ल्यू 1 से 4 के बयान भी पंजिबद्ध किये गये थे। प्रकरण साक्ष्य वादी में ही लंबित था। इसी दौरान राजस्व लोक अदालत केम्प नयानगर में प्रकरण को रखा गया जिसकी सूचना वादी को दी गई। वादी कैम्प नया नगर में उपस्थित नहीं हुआ ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. प्रकरण साक्ष्य वादी में लंबित था। राजस्व लोक अदालत में उभयपक्ष की सहमति होने पर प्रकरण का निस्तारण वांछित होता है। अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी/वादी अनुपस्थित था। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः साक्ष्य वादी में रखकर वादी को समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य प्रतिवादी में प्रकरण को रखा जाकर साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था। प्रतिवादी द्वारा यदि कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए वाद का उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण को निर्णित किया जाना चाहिये था। मात्र यह लिख देने से कि मेरिट पर भी निर्णय पारित किया जावे तो भी वादी किसी प्रकार की दाद प्राप्त नहीं कर सकता, वादी का पक्ष सुने बिना प्रकरण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में खारिज कर देना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना के तहत उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित नही किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

9. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.2.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर तनकीवाईज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.3.18 को उपस्थित रहे।

10. निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

19/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा